न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

पक्ष ..... प्रथम पक्ष

बनाम ..... द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .....से .....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या .....23.....सन् 2023

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक हुसैनी मियाँ पिता स्व० जहुर मियाँ, साकिन-कुसमर्जा, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-कुसमर्जा, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह अंतर्गत खाता नं०-49, प्लॉट सं०-1779, रकवा-1.23 एकड़ मध्ये 11 डी०, चौहद्दीः- उ०-महिउद्दीन मियाँ, द०-बसारत मियाँ, पू०-नीज प्रथम पक्ष, प०-रास्ता अवस्थित में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया से मांगे। अभिलेख दिनांक...15/1/23.....को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ सरिया के ज्ञापांक सं0 157/23 दिनांक 9.2.23 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 02.3.2023 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।

अभिलेख दिनांक 02.3.2023 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमण्डल पदाधिकारी
बगोदर–सरिया

20.4.23 प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०)

द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के विद्व अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण का उल्लंघन किया गया है। द्वितीय पक्ष के आवेदन को जाँच हेतु थाना प्रभारी बगोदर को भेजे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की जमीन है तथा उभय पक्षों के बीच आपसी

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बँटवारा तथा बिक्री से सम्बन्धित है, जिसका निवारण इस न्यायालय में नहीं हो सकता है, अतः उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि समाधान हेतु सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। द.प्र.सं. की धारा 144(5) के अंतर्गत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। [signature] 20/4/23	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.04.21 11:33:34 +05:30
Location: 192.168.1.8